न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी

पीठासीन अधिकारी

शिवांगी स्वर्णकार
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
51/प्रार्थना पत्र/18	14.03.2018	17.04.2018

उनवान

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार,
तालेडा, जिला बून्दी (राज0)

प्रार्थी

: बनाम :

स्व. श्री मांगीलाल आ0 दोला जाति भील (मृतक) जर्ये कायम मुकाम
1.श्री रूपलाल आ. स्व.मांगीलाल जाति भील निवासी ग्राम डाबी
2.श्री कैलाश आ. स्व.मांगीलाल जाति भील निवासी ग्राम डाबी
3.श्री अर्जुन आ. स्व.मांगीलाल जाति भील निवासी ग्राम डाबी
4.श्री रोडू (नाबा.) आ. भंवरलाल जर्ये संरक्षक माता सीता बाई पत्नी भंवरलाल भील निवासी ग्राम डाबी
5.श्री कन्हैया (नाबा.) आ. स्व.भंवरलाल जर्ये संरक्षक माता सीता बाई पत्नी भंवरलाल भील, निवासी ग्राम डाबी
6.श्री संकरी (नाबा.) पुत्री स्व.भंवरलाल जर्ये संरक्षक माता सीता बाई पत्नी भंवरलाल भील, निवासी ग्राम डाबी
7.श्री मंजू (नाबा.) पुत्री स्व.भंवरलाल जर्ये संरक्षक माता सीता बाई पत्नी भंवरलाल भील, निवासी ग्राम डाबी
8.श्री सीता बाई पत्नी स्व. भंवरलाल जाति भील निवासी ग्राम डाबी

अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राज0 भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम,1970</u>

उपस्थितः–
1. प्रार्थी की ओर से राजकीय अभिभाषक
2. अप्रार्थीगण की ओर से श्री सुनील कुमार गौत्तम

जिला कलेक्टर, बून्दी

:: निर्णय ::

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम,1970 इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अप्रार्थी को किये गये भूमि आवंटन ग्राम डाबी की कृषि भूमि खसरा संख्या 498/1261 रकबा 6.11 बीघा निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से दिनांक 16.4.18 को जवाब प्रा0पत्र पेश हुआ, जिसमें प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 लगायत 5 में वर्णित तथ्य अप्रार्थीगण को स्वीकार होना अंकित किया गया।

बहस राजकीय अभिभाषक एवं वकील अप्रार्थीगण सुनी गई।

राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए व्यक्त किया कि ग्राम डाबी में विस्थित आराजी खसरा संख्या 498/1261 रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा भूमि का आवंटन परामर्शदात्री समिति, मुकाम डाबी द्वारा दिनांक 22.11.1975 को अप्रार्थी श्री मांगीलाल आ. दोला कौम भील निवासी ग्राम डाबी को आंवटन किया गया था। आवंटी मांगीलाल भील की मृत्यु हो जाने से उसके वारिसान अप्रार्थीगण उक्त आराजी पर गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है। मौका रिपोर्ट हल्का पटवारी के अनुसार उक्त आंवटित भूमि पर मौके पर गैर खातेदारान् का कब्जा काश्त नहीं है तथा भूमि पर मौके पर पत्थर के मुक्कसर व खान का मलबा पडा हुआ है एवं आंशिक रूप से उक्त खसरा में खनन कार्य भी किया गया है। मुताबिक कार्यालय खनिज अभियन्ता, खण्ड द्वितीय, बून्दी के सीमांकन प्रतिवेदन उक्त आराजी खसरा सं. 498/1261 में एम.एल.नम्बर 307/98 के अन्तर्गत आता है। मुताबिक सहमति पत्र दिनांक 8.5.2000 उक्त आराजी के गैर खातेदार मांगीलाल वल्द दोला भील द्वारा उक्त भूमि पर खनन पट्टा हेतु सहमति दी गई है। इस प्रकार गैर खातेदार द्वारा आवंटित भूमि बाबत आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया गया है। तहसीलदार, तालेडा द्वारा आवंटन निरस्तीकरण प्रस्ताव मय नकल जमाबंदी, खसरा गिरदावरी, नक्शा ट्रेस व मौका रिपोर्ट संलग्न कर उक्त भूमि आवंटन को निरस्त किये जाने का निवेदन किया है। राजकीय अभिभाषक द्वारा दौराने बहस उक्त भूमि का आवंटन निरस्त किये जाने हेतु अनुरोध किया गया।

जिला कलेक्टर, बून्दी

अभिभाषक अप्रार्थीगण ने बहस के दौरान तर्क पेश किये कि उक्त आराजी पर अप्रार्थीगण गैर खातेदारों का कब्जा काश्त नहीं है। उक्त भूमि उबड खाबड है तथा कृषि प्रयोजन के काम नहीं आ रही है। उक्त भूमि के संबंध में हमारे पिताजी मांगीलाल जी के द्वारा कई वर्षो पूर्व खनन पट्टा एम0एल0नं0 307/98 के संबंध में सहमति पत्र दिनांक 8.5.2000 को निष्पादित कर दिया था। जिसे उक्त भूमि पर वर्तमान में खनन पट्टा स्वीकृत है। उक्त भूमि पर खान का मलबा पडा हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त आवंटन निरस्त कर भूमि सिवायचक दर्ज किये जाने में अप्रार्थीगण को कोई हानि नहीं है।

हमने पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया एवं बहस उभयपक्ष पर गहनता से मनन किया। आवंटी श्री मांगीलाल आ. दोला कौम भील निवासी ग्राम डाबी को दिनांक 22.11.1975 को ग्राम डाबी की भूमि खसरा संख्या 498/1261 रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा का आवंटन परामर्श दात्री समिति, मुकाम डाबी द्वारा आवंटन किया जाना प्रकट है। प्रकरण के संलग्न जमाबंदी संवत् 2072–75 के अनुसार नामान्तरकरण संख्या 1304 दिनांक 21.7.17 से मृतक मांगीलाल के स्थान पर उसके वारिसान अप्रार्थीगण को गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड किया गया। आवंटन पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि आवंटन संबंधी जांच रिपोर्ट हल्का पटवारी के अनुसार आवंटित भूमि पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं है। नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2068–72 के अनुसार उक्त भूमि पर मौके पर पडत है। मौका रिपोर्ट ग्रामवासियान की उपस्थित में तैयार की गई है। पत्रावली पर उपलब्ध कार्यालय खनि अभियन्ता, खण्ड द्वितीय बून्दी के सीमांकन प्रतिवेदन एम0एल0नम्बर 307/98 की फोटोकापी के अवलोकन से जाहिर है कि उक्त खनन पट्टा का सीमांकित क्षेत्र खसरा संख्या 498/1261 एवं 498 के अन्तर्गत आता है। तहसीलदार तालेडा की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि मौके पर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में नहीं ली जा रही है तथा आंशिक क्षेत्र पर खनन कार्य किया जा रहा है। अप्रार्थी गैर खातेदार ने उक्त आवंटित भूमि को सहमति पत्र से खनन कार्य हेतु अन्तरण कर दिया है, जबकि गैरखातेदार को भूमि अन्तरण करने के अधिकार नहीं है। आवंटन आदेश की शर्तो के अनुसार गैर खातेदार को उक्त भूमि पर कृषि कार्य किया जाना था। मौका रिपोर्ट एवं खनिज विभाग की सीमांकन रिपोर्ट की छायाप्रति से आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने एवं भूमि खनन कार्य में प्रयुक्त होने से आवंटन नियमों की शर्तो का उल्लंघन होना प्रमाणित है। गैर खातेदारान् को भी भूमि पर उनका कब्जा काश्त नहीं होने से उक्त आवंटन निरस्त किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। ऐसी स्थिति में आवंटन को अस्तित्व में रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है।

जिला कलेक्टर, बून्दी

परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर आवंटी श्री मांगीलाल आ. दोला कौम भील निवासी ग्राम डाबी को किये गये आवंटन भूमि खसरा संख्या 498/1261 रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम डाबी दिनांक 22.11.1975 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार तालेडा को आदेश दिये जाते है कि उक्त विवादित भूमि को अविलम्ब कब्जा राज लेकर राजस्व रेकार्ड में सिवायचक दर्ज करे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 17.04.18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवांगी स्वर्णकार)
जिला कलक्टर, बून्दी
जिला कलक्टर,बून्दी